

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक . . .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	मो० हीरा असारी पिता-जाफ़ीर असारी ग्राम-सारामोहनपुर पास्ट-सारा मोहनपुर थाना-सदर जिला-दरभंगा एम०सी०एस-जी० 12455	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मजु देवी पति-सागा साहनी ग्राम-पबरा पो०-मझौल थाना-मझौल जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 14210/ 10360101	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सजु देवी पति-पटवारी यादव ग्राम-मधुरापुर पो०-मधुरापुर थाना भवानीपुर जिला भागलपुर एम०सी०एस-जी० 13961	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

4	चिन्ता देवी पति-रामनाथ साव ग्राम+पो0-कुटुम्बा थाना-कुटुम्बा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 13233	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	तेतर शर्मा पिता-सीता राम शर्मा ग्राम-कटैली पो0-एकम्बा थाना-जलालगढ जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 10660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रविन्द्र कुमार पिता-कन्हैया लाल मंडल ग्राम+पोस्ट-बागनगर थाना-महलगाव जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 11349	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नजमा खातुन पति-तसलीम ग्राम-बगौछा वार्ड 11 पोस्ट-पिपरा थाना-महाराजगज जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 11984	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	राजेन्द्र राम पिता-स्व0 राम चरण राम ग्राम+पो0-अम्बारी थाना-शेखोपुर सराय जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-जी0 10951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मनोज कुमार साह पिता-स्व0 रामचन्द्र साह ग्राम-नुरपुर कटरा बाजार पो0-माधो मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 88675	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	इन्दु देवी पति-मगल सिंह ग्राम-लाका टोला पो0+थाना-गोरेयाकोठी जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 10360895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

11	टिक्कु कुमारी पति-रजनीश कुमार ग्राम-हेमनपुर पो-बनौली थाना-खिरीमोड जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 11006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	रम्भा देवी पति-अरुण कुमार सिंह ग्राम-कौरा पो-कौरा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 13897	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मारो देवी पति-नरेश यादव ग्राम-ओरानी पो-पुरान थाना-करपी जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 12470	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	कामो देवी पति-जगदीश मडल ग्राम-बैगना पोस्ट-बहार बाडी थाना-जोकीहाट जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 12409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सबिता देवी पति-अनिल राम ग्राम-नारायणपुर पोस्ट-रहमपुर थाना-गरखा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 13377	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	दीपक कुमार चौधरी पिता-सरयुग प्रसाद चौधरी ग्राम-मोहनपुर पो-गोराडीह थाना-गोराडीह ओपी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 14355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सबरी देवी पति-देवेन्द्र यादव ग्राम-देवरीघाट पो-मलडीहा थाना-बरहरा कोठी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 13969	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

18	रमेश यादव पिता-मोतीलाल यादव ग्राम-मयूरवा पो0-कुशहा थाना-त्रिवेणीगज जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 94855	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	माखन घोष पिता-सुकुमार घोष ग्राम-कालीघाट बेरौली पो0-बेरौली थाना-सदर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 11782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सृष्टि कुमारी पिता-सरोज गोड ग्राम-पो0 महुआर थाना-नैनीजोर जिला-बक्सर एम0सी0एस-10360517	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मो0 रिजबन पिता-तहुर मिया ग्राम-परिया पो0 परिया थाना-सोनवर्षा जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 10438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अरविन्द कुमार दुबे पिता-कृष्णा दुबे ग्राम-हाथोपुर पो0-महुआल महल थाना-दरौदा जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 13643	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सुदामा देवी पति-स्व0 चन्द्रशेखर राय ग्राम-शिवालापर पो0-नेउरा थाना-शाहपुर जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 13526	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	नजी अहमद पिता-बसी अहमद ग्राम-चकिया टोला पो0-रतनपुर थाना-आरा मुफसिल जिला भोजपुर एम0सी0एस-10360632	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

25	धनिकलाल यादव पिता स्व० सुरजी यादव ग्राम-डुमरीया पो०-कोलहया पट्टी थाना-मुरलीगज जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 11296	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	आयुष कुमार पिता-धर्मन्द्र पासवान ग्राम-मुजौलीया पोस्ट-बथुआरा थाना-बेला जिला-सीतामढी एम०सी०एस-10360730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	जयदेव साह पिता-बहुरी साह ग्राम+पोस्ट-गोनाहा थाना त्रिवेणीगज जिला-सुपौल एम०सी०एस-जी० 10736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मिश्री लाल बैठा पिता-देवनदन बैठा ग्राम-राजापाकर पो०-राजापाकर थाना-राजापाकर जिला-वैशाली एम०सी०एस-जी० 7513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	डोली कुमारी पति-हरेराम कुमार ग्राम-श्रीरामपुर पोस्ट-बढौना थाना-हिसुआ जिला-नवादा एम०सी०एस-10360776	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	अमृता देवी पति-नागेश्वर प्रसाद साह ग्राम-भेरोखडा पोस्ट-ताजपुर थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 14307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	कौशल्या देवी पति-जमुना राम ग्राम-लोहरैठ पो०-मुसेपुर थाना-खिजर सराय जिला-गया एम०सी०एस-जी० 12571	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

32	गुड्डु कुमार पिता-हीरा राय ग्राम-हरपुर ऐलौथ पो0-हरपुर ऐलौथ थाना-मुसरीघरारी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 8982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	आशा देवी पति-राम बाबु महतो ग्राम+पो0-सिहमा थाना-छोराई जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 12184	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	राम नरेश चौहान पिता-निरपत चौहान ग्राम-सिरपतिया पो0-सबरी थाना-नारदीगज जिला-नवादा एम0सी0एस-जी0 8358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मो0 शमशेर पिता-मो0 जशीम ग्राम-साहित बजरगी चौक पोस्ट-विद्यापतिनगर थाना-विद्यापति नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	कृष्णा मल्लाह पिता-सीता राम मल्लाह ग्राम-बदुआ पोस्ट-रघुनाथपुर थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 13122	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सुधा देवी पिता-बच्चु सिंह ग्राम-सलोनाचक पो0-रेहुआ थाना+जिला लखीसराय एम0सी0एस-जी0 13488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	फिरोजन खुर्शीद पिता-फेसल होदा ग्राम-कुम्हरोली पो0-कुम्हरोली थाना-कमतोल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 13083	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

39	मो० अरसलन पिता मो० नसीम ग्राम-कदवा पोस्ट-मजगामा थाना-कसबा जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 12911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	इंगलीश यादव पिता-काको यादव ग्राम-भवानीपुर पोस्ट-भवानीपुर थाना-रगरा ओ०पी० जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 12403	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	उषा देवी पति-स्व० मुन्नु साह ग्राम-सहार पो०-सहार थाना-सहार जिला-भोजपुर एम०सी०एस-जी० 13004 / 10358895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	नीलम देवी पति-बालेन्द्र महतो ग्राम-बाराडीह पोस्ट-धनैया थाना-साहेबगज जिला-मुजफ्फरपुर एम०सी०एस-जी० 12623	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	गुडडी कुमारी पति-रवि कुमार ग्राम-पैनाल 03 पो०-पैनाल थाना-बिहटा जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 12708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	हरदेव राम पिता-दुडाई राम ग्राम+पो०-नानपुर थाना-नानपुर जिला-सीतामढी एम०सी०एस-जी० 12984 / 10358875	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	हीरा देवी पति-चिता लाल महतो ग्राम-खोकस पोस्ट-बाम्बे हरलाल थाना-दलसिह सराय जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-जी० 13095	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

46	शोभा देवी पति-सुभाष कुमार चौरसिया ग्राम-लालापुर पोस्ट-भवानीपुर थाना-अतीचक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 6345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	रुखसाना खातुन पिता-मो0 इमाम मियाँ ग्राम-मुरला वार्ड 10 पो-मुरला थाना-रामगढवा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 5740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	सजय पडित पिता-बलदेव पडित ग्राम-सुजापुर पो0-सुजापुर थाना-बरारी जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 11297	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	रिक्कु देवी पति-राम विनय राय ग्राम+पो0-पपरोर थाना-बरौनी पी0एस0 जिला बेगुसराय एम0सी0एस-जी 13035 / 10358926	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	बच्ची देवी पति-कपिल चौधरी ग्राम-मलुका पो0-छतिहर थाना-हिसुआ जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 2499	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	कीरत रजक पिता-भुनेश्वर रजक ग्राम-तीलकपुर पो0-महेश्वरी थाना-सोनो जिला-जमुई एम0सी0एस-जी0 13991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	बिपिन महतो पिता-बिन्देश्वरी महतो ग्राम-मधुबन तिनटेगा पो0-मधुबन थाना-उदाकिशुनगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 99939	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

53	गीता देवी पति-उधो राय ग्राम-बलडीहा पो0-तालीमपुर थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 98389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	रूपा देवी पति-राम पुकार राय ग्राम-रूपौली पो0-सौली थाना-तरियानी छपरा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी014420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	राजेश राम पिता-रामदेव राम ग्राम-जयन्ती ग्राम विसौआ पोस्ट-नयानगर थाना-तेघडा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 13257	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सीमा कुमारी पति-जितेन्द्र शर्मा ग्राम-सकरौली पो0-बदहुपर थाना-मोहनियों जिला कैमुर भभुआ एम0सी0एस-जी0 13313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	सदानन्द मेहता पिता-स्व0 कनकीर मेहता ग्राम-टेढी मुसहरी पो0-मुसहरी थाना-फारबीसगंज जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 13072/ 10358963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	दिनकर कुमार सिंह पिता-रजीत सिंह ग्राम-अम्बा पो0-अम्बा थाना-शाहकुड जिला-भागलपुर एम0सी0एस-10360408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

59	श्रीकान्त यादव पिता-आनन्दी यादव ग्राम-वार्ड न0-07 भोकराहा पोस्ट-भतनी थाना-भतनी ओ0पी0 जिला मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 12757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	शाहनवाज पिता-इसमाईल ग्राम-हिजरत नगर बैरगाछी पो0-पुरानागज थाना-बायसी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 12770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	बिलास यादव पिता-खुशी लाल यादव ग्राम-बलुआहा पोस्ट-दुधैला थाना-सोनवर्षा कचहरी जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 14076/ 10359967	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	राम सागर चौधरी पिता-रामोतार चौधरी ग्राम+पोस्ट-दुनही थाना-गढपुरा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 13620/ 10359511	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	कृष्ण कुमार पिता-भवेश यादव ग्राम-हीराटोल वार्ड 01 पो0-रहीमपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 95937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	लीला देवी पति-प्रेम लाल हरिजन ग्राम-मालोपारा पो0-दलमालपुर थाना-रौटा जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 13923	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

65	रोहिनी कुमारी पिता-विनोदानन्द कुमार ग्राम-रामगढ तेलघी वार्ड 09 पोस्ट-खरीक बाजार थाना-खरीक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 4954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	ओम प्रकाश सिंह पिता- हरदेव सिंह ग्राम- रामपुर जैती पो0- जैतीपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण एमसीएस न0- 10360590	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	इन्दु देवी पति- अशोक कुमार ग्राम+पो0- अन्दी थाना- अस्थवा जिला- नालदा एमसीएस न0- एफ 29809	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	हरेद्र सिंह पिता- रामरूप सिंह ग्राम- जनकपुरिया वार्ड 02 पो0- पनवारी थाना- चौरी जिला- भोजपुर एमसीएस न0- एफ 22024	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			54,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 54,20,000/- (चौवन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1053(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पिकी देवी पति- सजय कुमार गुप्ता ग्राम+पो०- सीतापुर थाना- वीरपुर जिला- सुपौल सीआर न०- 108112300014509	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कुसमावती देवी पति- स्व० सुरेद्र नाथ राय ग्राम- धरमपुर पो०- सोनहुला थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगज सीआर न०- 108112503347325	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	इब्रार हुसैन पिता- सईद ताहिर हुसैन ग्राम- पैठान टोली पो०+थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न०- 108112502349685	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	अर्पिता कुमारी पिता- सुबोध कुमार ग्राम- सुरौधा कॉलोनी कोइलवर पो०+थाना- कोइलवर जिला- भोजपुर सीआर न०- 108112600640185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	राम विलाश यादव पिता- रूदल यादव ग्राम- मानापट्टी वार्ड 13 पो0- हत्थापुर परसा थाना- बासोपट्टी जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112600293400	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	आशा देवी पति- नरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- भावनचक वार्ड 08 पो0+थाना- सकसोहरा जिला- पटना सीआर नं0- 1081125011564931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	अलाउद्दीन असारी पिता- मो0 हदीस ग्राम- वार्ड 33 मिल्की टोला सादपुरा पो0- रमना थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112503589221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गोपाल प्रसाद पिता- स्व0 मथुरा प्रसाद ग्राम- जे0 पी0 रोड लखीबाग पो0+थाना- मसोढी जिला- पटना सीआर नं0- 108112600354310	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सबरा खातून पति- स्व0 समी अहमद ग्राम- पाटलिपुत्रा अकादमी बरकत खान का अखाडा मोगलपुरा पो0- पटना सिटी थाना- खॉजेकला जिला- पटना सीआर नं0- 108112600613510	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	बिहारी महतो पिता- हरी महतो ग्राम+पो0+थाना- संग्रामपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर नं0- 108112600442961	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	वीणा देवी पति- स्व0 इद्रमणि प्रसाद ग्राम- बेउर अखाडा वार्ड 11 पो0+थाना- बेउर जिला- पटना सीआर नं0- 108112301013956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	रुबी देवी पति- प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ग्राम- मनि टोला वार्ड 05 पो0+थाना- बौनाहा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112600375627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रीता देवी पति- गणेश झा ग्राम- एकहारा वार्ड 01 पो0- बैका बिशनपुर थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600640070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	लालदाई देवी पति- अश्वनी कुमार यादव ग्राम- जतुका वार्ड 05 पो0- भण्डारिसम थाना- बाजितपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501313873	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सिकदर पासवान पिता- गोविन्द पासवान ग्राम- सकसोहरा वार्ड 09 पो0+थाना- सकसोहरा जिला- पटना सीआर न0- 108112600376143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मोनालिशा देवी पति- अविनाश प्रसाद ग्राम- राढी वार्ड 11 पो0- राढी थाना- जाले जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501224170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	जगदीश मिश्रा पिता- अनिरुद्ध मिश्रा ग्राम- जुडावनपुर करारी वार्ड 09 पो0+थाना- जुडावनपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600279717	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	उदय सिंह पिता- कृष्ण सिंह ग्राम- चातर पो0- बभनौर थाना- नरहट जिला- नवादा सीआर न0- 108112600496661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	दीपक कुमार पिता- अजय राम ग्राम- नरसिंहपुर वार्ड 06 पो0- नरसिंहपुर थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112300656705	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बेबी कुमारी पति- निर्मल कुमार आजाद ग्राम+पो0- बछौता थाना- मोरकाही जिला- खगडिया सीआर न0- 108112503680521	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	कुमार सूरज पिता- पवन कुमार यादव ग्राम- दामोदरपुर पो0+थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112502969781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मिथिलेश साह पिता- विदेश्वर साह ग्राम+पो0- बराही थाना- परिहार जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112502323813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सोनी देवी पति- ब्रह्मदेव दास ग्राम- अररिया वार्ड 14 पो0- कुमियही थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600255486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रेखा देवी पति- चद्रमौलि कुमार ग्राम- धरमपुर वार्ड 03 पो0- फलेलपुर थाना- अथमलगोला जिला- पटना सीआर नं0- 108112503150211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	मो0 रब्बान पिता- मो0 इस्माइल ग्राम- मधुरा वार्ड 05 पो0- चौहट्टा थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600227270	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	निर्मला देवी पति- नदलाल यादव ग्राम- नेनगसिया पो0- सिहारी थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज सीआर न0- 108112501648115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मनता पासवान पिता- कन्हारू पासवान ग्राम+पो0- गोविंद चक थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112502279342	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सजू देवी पति- विजय राय ग्राम- मथुरापुर वार्ड 06 पो0- लक्ष्मीनिया थाना- बलिया जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500373791	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रामदाय देवी पति- रामनरेश झा ग्राम- बछवाडा वार्ड 11 पो0+थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600576568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	लालबहादुर सिंह पिता- स्व0 रामबहादुर सिंह ग्राम- मोहनपुर वार्ड 13 पो0+थाना- धरहरा जिला- मुंगेर सीआर न0- 108112600298959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	देवेद्र यादव पिता- रुद्रनारायण यादव ग्राम- जुडी मौजी टोला बशौठा पो0+थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112600435379	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	अजू देवी पति- अनिल यादव ग्राम- सोवन वार्ड 07 पो0- सोवन थाना- कृष्णब्रह्म जिला- बक्सर सीआर न0- 108112300176541	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	सोना कुमारी पति- अरुण कुमार गुप्ता ग्राम- दुलौर वार्ड 13 पो0- दुलौर थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112402550022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	सजू देवी पति- मटू कुमार सिंह ग्राम- बरदोखर वार्ड 01 पो0- कोनाग थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112600272321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	साईमा प्रवीन पिता- मो0 फिरोज आलम ग्राम- मेहतरपट्टी पो0- बीरपुर थाना- बासोपट्टी जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600331824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	राज कुमार महतो पिता- भोला महतो ग्राम- शिवाजी नगर पंडौल पो0+थाना- पंडौल जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600644245	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	रीता देवी पति- उपेन्द्र प्रसाद ग्राम- बखरी वार्ड 13 पो0- मनियारा थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112502741917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	कुमकुम देवी पति- स्व0 जय किशोर झा ग्राम- डुमरी कटसरी वार्ड 01 पो0- डुमरी कटसरी थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर सीआर न0- 108112503685328	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	गेना देवी पति- तेतर दास ग्राम- चमरेली वार्ड 07 पो0- लखनौडीह थाना- बाका जिला- बाका सीआर न0- 108112503658886	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	सुकेश्वरी देवी पति- अच्छेलाल राय ग्राम- फेरुसा वा र्ड 07 पो0- फेरुसा थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न0- 108112501209031	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	अचला देवी पति- रविद्र चौधरी ग्राम- रघुनाथपुर वार्ड 13 पो0- रघुनाथपुर थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर सीआर न0- 108112500196211	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	राधेश्याम गोड पिता- रघुनाथ गोड ग्राम- बडकी नैनीजोर वार्ड 18 पो0- बडकी नैनीजोर थाना- नैनिजोर जिला- बक्सर सीआर न0- 108112600305921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	नीलम देवी पति- उपेन्द्र प्रसाद ग्राम- मिर्जापुर वार्ड 06 पो0- पितम्बरपुर थाना- ओकरी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112400771676	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सदानंद राय पिता- कनिक राय ग्राम- सुदरपुर पो0- बिना थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112600349014	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मजू सिन्हा पति- रामचंद्र यादव ग्राम- महदेवा वार्ड 11 पो0+थाना- बरियारपुर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112600535845	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	श्रीनारायण झा पिता- इद्रजीत झा उर्फ अवधकान्त झा ग्राम- देवापुर पो0- खोरीपाकर थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600187847	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	राम एकवाल राम पिता- दामोदर राम ग्राम- नसिधपुर बगहि पो0- नीलकठपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600011374	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	बबिता देवी पति- राजीव पडित ग्राम- चकदीलर वार्ड 04 पो0- रसिदपुर थाना- बछडवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600271228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	अनवर आलम पिता- मो0 मुस्लिम ग्राम- झींगकाटा वार्ड 12 पो0- महेशबटहना थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज सीआर न0- 108112502538992	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	शिवकुमारी देवी पति- महेद्र साह ग्राम- नारायण पट्टी वार्ड 10 पो0- नारायण पट्टी थाना- राजनगर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112503287039	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सूरज सिंह पिता- द्वारिका सिंह ग्राम- रामपुर नौसहन पो0+थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600098640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	तारानाथ मिश्र पिता- गणेश मिश्रा ग्राम- मनहोहन वार्ड 08 पो0- बाथ थाना- लखनौर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112300057011	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	नूतन कुमारी पति- प्रमोद कुमार ग्राम- खटागी वार्ड 09 पो0- खटागी थाना- मानिकपुर जिला- अरवल सीआर न0- 108112503581638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	हजला शेख पिता- मो0 शहजाद आलम ग्राम+पो0- फतेहॉ थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112600175300	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
55	प्रीणा कुमारी पिता- मूना कुमार ग्राम- सिरसिया वार्ड 13 पो0- दामोदरपुर थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600433376	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
56	राजेद्र पासवान पिता- रामबृक्ष पासवान ग्राम- गोधवा वार्ड 11 पो0- पटौरा थाना- मुफरिसल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112600312374	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
57	सतोष कुमार पिता- रामदेनी सिंह ग्राम- नियामतपुर पो0- नेउरी थाना- बेलागज जिला- गयाजी सीआर न0- 108112600591915	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
58	मनीष कुमार पिता- उमेश प्रसाद यादव ग्राम+पो0- मोहनियों थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112402093357	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	मुकेश कुमार सिन्हा पिता- रत्नेश्वर प्रसाद सिन्हा ग्राम- रोड 03 डूमरा पो0+थाना- डूमरा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112502734473	Cataract surgery + Injection	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
60	पृथ्वी दास पिता- जदू दास ग्राम- पुरुषोत्तम पुर पो0- बाघाकोल थाना- मकेर जिला- सारण सीआर न0- 108112600202544	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

61	शकीना खातून पति- उस्मान असारी ग्राम- महंथ मनियारी वार्ड 09 पो0- महंथ मनियारी थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112600378651	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
62	राम परी देवी पति- जगधर यादव ग्राम- डडारी वार्ड 14 पो0+थाना- डडारी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112301123174	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	रजू देवी पति- अमता बच्चन ग्राम- गढबन्नी वार्ड 01 पो0- हथवन थाना- अलौली जिला- खगडिया सीआर न0- 108112600558012	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	देवराज कुमार पिता- दिलीप कुमार ग्राम+पो0- पकडा थाना- नवगछिया जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112502806652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	मो0 मुरशिद अली पिता- मो0 अखतर हुसैन ग्राम- बघला कमलपुर पो0- पचोभ थाना- विशनपुर जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501865710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	मो0 आहान पिता- मो0 अफरोज आलम ग्राम- हाजिमोहल्ला वार्ड 08 पो0+थाना- जोगबनी जिला- अररिया सीआर न0- 108112600459952	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	सुनीता देवी पति- सुबाश सिंह ग्राम- इनजोर वार्ड 03 पो0- इनजोर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल सीआर न0- 108112503363304	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	मो० रहमतुल्लाह पिता- नथुनी असारी ग्राम- जागसो वार्ड 04 पो०+थाना- जमालपुर जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112600084076	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	पूजा कुमारी पति- अनिल कुमार ग्राम- चनौर वार्ड 05 पो०- चनौर थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112600182691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	स्वीकृति झा पिता- सत्यम कुमार झा ग्राम- एकाढ वार्ड 02 पो०- एकाढ थाना- नवहट्टा जिला- सहरसा सीआर न०- 108112600322434	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	शिवकुमार प्रसाद पिता- बनवारी महतो ग्राम- उदयपुर वार्ड 11 पो०- राजगीर थाना- छबिलापुर जिला- नालदा सीआर न०- 108112600227253	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	शारदा देवी पति- विरेन्द्र सिंह ग्राम- अमवा मझार वार्ड 11 पो०- अमवा मझार थाना- मुफस्सिल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112503538074	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	मेमिन देवी पति- सोमन यादव ग्राम- धौस वार्ड 12 पो०- यमशम थाना- पडौल जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112600100377	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	कमता यादव पिता- रामईश्वर यादव ग्राम- विशुनीबिगहा वार्ड 02 पो०+थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर न०- 108112600607617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	रजनी देवी पति- अनिल ठाकुर ग्राम- पहिपुरा वार्ड 02 पो0- सलेमपुर थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112502194738	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	पिन्टू कुमार पिता- सिकदर राय ग्राम- कोदरिया मागो वार्ड 02 पो0- बडादाउद थाना- पारू जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112503210681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	जगदीश भगत पिता- फनकु भगत ग्राम- बथना पो0+थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112402620781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रौशन खातून पति- अहद शाह ग्राम- रहिका वार्ड 03 पो0+थाना- रहिका जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112600530886	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	बिक्की कुमार पिता- राजाराम पासवान ग्राम- जलगोविंद वार्ड 07 पो0+थाना- बाढ जिला- पटना सीआर न0- 108112600103571	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	मजू देवी पति- प्रदीप दास ग्राम- सिहुडी वार्ड 01 पो0- सिहुडी थाना- अमरपुर जिला- बाका सीआर न0- 108112500775784	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	निर्मल देवी पति- लक्ष्मण मुखिया ग्राम- लक्ष्मिनिया पो0- बेरी थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112600336079	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	नूतन देवी पति- जगदीश पंडित ग्राम- रानी वार्ड 11 पो0- रानी थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112600355561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	मो0 शाविर पिता- इमाम हुसैन ग्राम- औरही वार्ड 02 पो0- भटचौडा थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112401825486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	अजू देवी पति- राम कुमार झा ग्राम- गोपालपुर बघनगरी वार्ड 10 पो0- जगदीशपुर बघनगरी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112503303077	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	मजू देवी पति- सतोष कुमार ग्राम- गुलौरा वार्ड 02 पो0- करवाताही बाजार थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112600453008	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	पकज कुमार सिंह पिता- राजेन्द्र सिंह ग्राम- दरियापुर पो0- बसगोपाल अमवा थाना- रजौली जिला- नवादा सीआर न0- 108112503698845	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- रामबीर सिंह ग्राम- सिरसा खेमकरण पो0- सराय बॉक्स थाना- भेल्दी जिला- सारण सीआर न0- 108112300052311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	मो0 अब्दुल शमी पिता- मो0 कैसर ग्राम- दरगाह रोड नियर कर्बला सुल्तानगज वार्ड 50 पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना सीआर न0- 108112503353350	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	धुखनी देवी पति- रामयतन चौधरी ग्राम- सिधौल वार्ड 02 पो0- उलाउ थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112401225985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	मनोरम देवी पति- विनोद कुमार यादव ग्राम- रामघाट पो0- खैरा कोशकापुर थाना- परपतगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112502145001	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	रणविजय सिंह पिता- स्व0 जुगेस्वर सिंह ग्राम- चकसिंगार वार्ड 03 पो0- चकसिंगार थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112502957961	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	भरत मंडल पिता- लखन मंडल ग्राम- दहियार वार्ड 08 पो0- रन्ना थाना- शिवाजीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600098887	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	चदेश्वरी यादव पिता- बौकू यादव ग्राम+पो0- कहरा थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112403248664	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	बिमला देवी पति- उगन मुखिया ग्राम- देवना गोपाल वार्ड 01 पो0- गढिया थाना- बनगाव जिला- सहरसा सीआर न0- 108112502505911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	सुदर्शन पासवान पिता- लक्ष्मण पासवान ग्राम- हरपुर रेवाडी वार्ड 12 पो0- हरपुर रेवाडी थाना- अगारघाट जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112401646140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	सकलदेव सरदार पिता- स्व० मितर सरदार ग्राम- सिकियहा पो०+थाना- भतनी जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112502336770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	अब्दुल्लाह मिया पिता- शालू मियां ग्राम+पो० सोनबरसा थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112600431101	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	सुलेखा देवी पति- राम प्रकाश शर्मा ग्राम- फटिकवारा वार्ड 08 पो०+थाना- देसरी जिला- वैशाली सीआर न०- 108112600679553	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	मोहम्मद अलीम पिता- मोहम्मद वजीर ग्राम- कमलदहा पो०+थाना- कुसौकाटा जिला- अररिया सीआर न०- 108112600316272	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	पिकी देवी पति- श्याम कुमार राय ग्राम- सलखन्नी वार्ड 11पो०- सिधियाघाट थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न०- 108112600543732	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	समीश कुमार पिता- बमशकर ग्राम+पो०- हरिओ थाना- झडापुर जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112502811338	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	उषा देवी सिंह पति- रमेश सिंह ग्राम- सुप्पी वार्ड 13 पो०+थाना- सुप्पी जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112403166862	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	ऐनुल हक पिता- तीतर ग्राम- भुना वार्ड 12 पो०- भुना थाना- महलगाव जिला- अररिया सीआर न०- 108112500931867	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

104	रीतू देवी पति- सजीव कुमार चौधरी ग्राम- कसरौली बुचौली वार्ड 05 पो0- डीह बुचौली थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112600573801	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	राजा बाबु पासवान पिता- सिकन्दर पासवान ग्राम+पो0- सोनूपुर थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600655336	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
106	मुरारी कुमार राम पिता- हीरालाल राम ग्राम- खेरिया निषाद टोला पो0- अयोध्या गज बाजार थाना- कुर्सेला जिला- कटिहार सीआर न0- 108112600522463	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
107	रौनक कुमार पिता- संतोष कुमार ग्राम+पो0- मलिकपुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली सीआर न0- 108112503178094	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
108	सुहानी कुमारी पिता- जितेन्द्र कुमार शर्मा ग्राम- चक हैदर पो0- मोतीपुर थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112600423893	हृदय रोग Dual chamber pacemaker	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
109	राम गणेश सिंह पिता- बुझावन सिंह ग्राम+पो0- फुलखान थाना- श्यामपुर जिला- शिवहर सीआर न0- 108112600709797	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
110	मो0 अख्तर पिता- अब्दुल बारिक ग्राम- गढी टोला नगर परिषद बखरी वार्ड 15 पो0+थाना- बखरी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112503307561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

111	कृष्णा देवी पति- विलटू राय ग्राम- झिटकहिया वार्ड 04 पो0- महुआवा थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112500142781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	नन्देलाल प्रसाद पिता- कामेश्वर यादव ग्राम- बासमन बिगहा पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा सीआर न0- 108112401949592	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
113	मो0 मुस्ताक पिता- इमामुद्दीन ग्राम- कुम्हार टोली वार्ड 11 पो0+थाना- गलगलिया जिला- किशनगज सीआर न0- 108112500694318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	सोमा देवी पति- सुधीर कुमार सिंह ग्राम- शपरपट्टी वार्ड 03 पो0- छातापुर थाना- राजेश्वरी जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501861307	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	बाबु साहब कुमार पिता-बिनोद यादव ग्राम-यादव नगर पो0- आनदपुर थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा सीआरन0-108112503339462	गुर्दा प्रत्यारोपण	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
116	सीता देवी पति-अशर्फी राय ग्राम+पो0- राजापाकड थाना- राजापाकड जिला-वैशाली सीआरन0-108112500279051	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,07,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,07,70,000/- (एक करोड़ सात लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु,बैंक का

नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000i507 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1054(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलरन चेक सं0 002638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध सस्थान प्रा० लि०,
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप कुमार मडल पिता- स्व० नारद मडल ग्राम- मौफरगज अरगारा चौकी कटिहार पो०- कटिहार थाना- कटिहान नगर जिला- कटिहार	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सकुन्तला देवी पति- अनंत पाडेय ग्राम- तेजपुर पो०- तेल्लाडा थाना- तेलहरा जिला- नालंदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
3	देव कान्त शर्मा पिता- शिव शरण शर्मा ग्राम- कुरकुरी पो०+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राजेश साह पिता- विष्णुदेव साह ग्राम+पो०- पकरी थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
5	मो० इरसाद पिता- मो० उसमान ग्राम- चंदपुरा वार्ड 08 पो०+थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	रंजीत कुमार पिता- बच्चू प्रसाद ग्राम- बसोचक वार्ड 05 पो0- दरियापुर थाना- बारसलीगंज जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	गिरिजा देवी पति- ईश्वर दयाल प्रसाद ग्राम- रमदतही पो0- प्रसौडा थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	शशी दुबे पिता- चंद्रभान दुबे ग्राम+पो0- गोबरीरा थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	इंदू देवी पति- दिनेश प्रसाद सिंह ग्राम- चकजमाल पो0- सहदेई बुजुर्ग थाना- सहदेई जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सोनम कुमारी पति- प्रवीण कुमार ग्राम- चालीसा मिल्की वार्ड 02 पो0- जामुक थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	अशोक कुमार पिता- सत्यनारायण यादव ग्राम- भैरोपुर वार्ड 02 पो0- बैसाढ थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा	हृदय रोग डीवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			12,35,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,35,000/- (बारह लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001638..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/4/2026

ज्ञापाक 1055(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैसिजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजीव रजन सिंह पिता- कपिलदेव सिंह ग्राम- पटेढी बैज पो०- इसरौली थाना- मढौरा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सीता देवी पति- भरत साह ग्राम- इब्राहिमपुर पो०+थाना- पीरो जिला- भोजपुर	Severe Allergic Asthma	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुधीर कुमार वर्मा पिता- राजेश्वरी प्रसाद लाल ग्राम- मालती सदन शास्त्री नगर पो०- जहानाबाद थाना- जहानाबाद नगर जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०

579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1056 (14)

पटना, दिनांक

16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 002638.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/4/26

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कामेश्वर राय पिता- रातदत्त राय ग्राम- पहाडपुर पो0- खोदाईबाग थाना- खैरा जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	निर्मला कुमारी पिता- जनार्दन जमादार ग्राम- लाला बिगहा पो0- अजनौरा थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शनिचरी देवी पति- वकील राय ग्राम- शहबाजपुर वार्ड 15 पो0- मुबारकपुर थाना- मढौरा जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	पूनम देवी पति- स्व0 सुखारी राम ग्राम+पो0+थाना- पुनौरा जिला- सीतामढी	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			₹ 4,70,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-“राजेश्वर अस्पताल” खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1057(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 002638 ...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक..... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रागनी कुमारी पिता- राजू कुमार ग्राम+पो०- चौदपुरा खुर्द थाना- अलौली जिला- खगडिया यूएचआईडी न०- 3000628438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मनटुन राय पिता- चद्रशेखर राय ग्राम+पो०- देवकुलीधाम थाना- बिरौल जिला- दरभंगा यूएचआईडी न०- 3000572159	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	विजय यादव पिता- रामखेलावन यादव ग्राम- उखदी पो०- तेउस थाना- जयरामपुर जिला- शेखपुरा यूएचआईडी न०- 3000465657	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	विनोद रजक पिता- नन्दु रजक ग्राम- मोबारकपुर पो०- मधार थाना- वेन जिला- नालदा यूएचआईडी न०- 3000353609	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	प्रेम कुमार पिता- आजाद यादव ग्राम- लालदरवाजा मिडिल स्कूल गली पो0- लालदरवाजा थाना- कोतवाली जिला- मुंगेर यूएचआईडी नं0- 3000623796	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	अलौधेन देवी पति- नथुनी यादव ग्राम- निघमा पो0- सरौती थाना- घोघरडीहा जिला- मधुबनी यूएचआईडी नं0- 3000614826	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	तेतर पंडित पिता- जनक पंडित ग्राम+पो0- कन्हौली थाना- खजौली जिला- मधुबनी यूएचआईडी नं0- 3000625666	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	उषा देवी पति- बालेन्द्र दास ग्राम- सपही पो0- कोशिला थाना- मगध युनिवर्सिटी जिला- गयाजी यूएचआईडी नं0- 3000624257	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	आशीष कुमार श्रीवास्तव पिता- अजय किशोर श्रीवास्तव ग्राम+पो0- बलिया थाना- आन्दर जिला- सिवान यूएचआईडी नं0- 3000582897	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	रवीता भारती पति- अखिलेश कुमार मंडल ग्राम- जौनिया पो0- बस्तौल थाना- प्राणपुर जिला- कटिहार यूएचआईडी नं0- 3000622080	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	मो0 नूर कोशर पिता- मो0 हनीफ ग्राम- जोरगंज पो0- एकरहा थाना- जानकी नगर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं0- 3000627266	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	संतोष दास पिता- स्व० बालकिशुन दास ग्राम- मीर टोला पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा यूएचआईडी न०- 3000616753	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	विणा देवी पति- लक्ष्मण प्रसाद ग्राम- शीतल भकुरहर पो०- मणि भकुरहर थाना- सराय जिला- वैशाली यूएचआईडी नं०- 3000603354	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	बृदा पांडेय पिता- रामसहाय पांडेय ग्राम- नीमा पो०- पुरहरा थाना- चौरी जिला- भोजपुर यूएचआईडी न०- 3000621085	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	नसीमा खातून पति- स्व० मो रमजानी ग्राम- नरकट घाट आलमगज शीश महल कॉलोनी पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना रजि न०- 3000625146	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	भुवनेश्वर प्रसाद सिंह पिता- सत्य नारायण सिंह ग्राम+पो०- अजगरा थाना- भदौर जिला- पटना रजि नं०- 3000629807	किडनी इन्फेक्शन कंटरवेटिव	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
17	मीरा देवी पति- नवल किशोर सिंह ग्राम- रहीमपुर यादी पो०+थाना- मढौरा जिला- सारण रजि नं०- अकित नहीं है।	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
18	मनीष चन्द्र शर्मा पिता- स्व० कमल नयन प्रसाद शर्मा ग्राम- मौर्य बिहार दानापुर रोड पो०- खगौल थाना- दानापुर जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 3000618583	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			11,55,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,55,000/- (ग्यारह लाख पचपन हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष,

खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002638.....
.....द्वारा अहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०
1649826000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस
एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का
नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD
PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1058(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/4/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लालबाबू बैठा पिता- बडाई बैठा ग्राम- रामगढ महुआवा पो0+थाना- पिपरा कोठी जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	रमेश साह पिता- गुलटेन साह ग्राम- बडा बरियारपुर पो0- मोतिहारी कोर्ट थाना- छतौनी जिला- पूर्वी चम्पारण	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	ममता देवी पति- गणेश कुमार चौधरी ग्राम- गोदना पो0- रेवेलगंज थाना- रिविलगंज जिला- सारण	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	प्रभावती देवी पति- शिवजी राय ग्राम- न्यू गोसाई टोला पो0- दानापुर कैंट थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	लीला देवी पति- राजेश प्रसाद ग्राम- मुकीमपुर पो0- हाजीपुर बिल्लौर थाना- बाढ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	नारायण पंडित पिता- सेवक पंडित ग्राम+पो0- लदहो थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	सजीव कुमार पिता- अशोक राय ग्राम+पो0- महमदपुर बदल थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
8	नीरज कुमार पिता- नरेश कुमार ग्राम- ब्रह्मपुर पो0- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	गीता देवी पति- सोमनाथ प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- बिक्रम जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
10	बिनय कुमार राय पिता- पुलिस राय ग्राम- काशीपुर चकबीबी पो0- बिदुपुर आर एस थाना- बराटी जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
11	आयुष रजन पिता- सुरेंद्र प्रसाद ग्राम- यदुवशी नगर नासरीगज पो0- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना	ड्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	रमेश प्रसाद पिता-शिव रतन लाल ग्राम-आनन्द बाजार दानापुर कैट, पोस्ट-दानापुर थाना-दानापुर जिला-पटना	टोटल नी रिपलेस्मेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			10,25,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,25,000/- (दस लाख पच्चीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 00263... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया,

शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0011675 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


पटना, दिनांक 16/4/2026

ज्ञापाक

1059 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 022638...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. पी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदर्श कुमार पिता- अर्जुन प्रसाद साह ग्राम- झांजपट्टी डोमन पो०- हुदरा थाना- खुटौना जिला- मधुबनी	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	विकाश कुमार पिता- सुशिल ठाकुर ग्राम- कुसुम्पटी सिढौली पो०- कोठिया थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	आदित्य साहू पिता- राम डॉ शॉ ग्राम- सीरौली पो० कोठिया थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	नीरज कुमार पिता- अमरजीत कुमार माझी ग्राम+पो०- हवासा थाना- अशोक पेपर मिल जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	शिवम कुमार पिता- सुधीर यादव ग्राम- पलवा पो०- नदयामि थाना- बडगाँव जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	विजय मडल पिता- भिखारी मडल ग्राम- मरुकियहि पो0- कॅरियल थाना- लौकही जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत
7	आदित्य कुमार पिता- ललित कुमार साहनी ग्राम- खपरपुरा पो0- अरैला थाना- मोरो जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	देवेद्र कुमार सिंह पिता- सुरेश कुमार सिंह ग्राम- मैनापट्टी पो0- महेश वारा थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	मो0 कलाम असारी पिता- अनुल असारी ग्राम- हरने पो0+थाना- हरलाखी जिला- मधुबनी	वन नी रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
10	नूर मोहम्मद पिता- बेचू मियां ग्राम- धरहरा पो0- महादेव मट थाना- आघामठ जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	राजाराम यादव पिता-बौआ लाल यादव ग्राम-बलरा पो0- उछाती थाना-बिरौल जिला-दरभंगा	ड्रामा	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
12	बाबा डाय पिता-हरिहर पासवान ग्राम-शंभुआड पो0-शंभुआड थाना- पडौल जिला-मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 7,60,000 /-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,60,000/- (सात लाख साठ हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्राफ आर्थो स्पाईन

एडं मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/4/2026

ज्ञापक 1060(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. नेज़र, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनाक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिन्दी देवी पति- अशोक कुमार ग्राम+पो0- पैन थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा	Laparoscopic Ovarian Cystectomy	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शारदा कुमारी पति- संजीव कुमार ग्राम- ताजन बीघा पो0- अबगिल्ला थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	बद्री नाथ प्रसाद पिता- रामधारी भगत ग्राम- बाजार समिति रोड महात्मा गाँधी नगर पो0- गजाधर गंज थाना- मोडल थाना बक्सर जिला- बक्सर	Brain Hemorrhage	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,55,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,55,000/- (एक लाख पचपन हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0.002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता

धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन


ह0/-
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1061(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0 002638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ममता कुमारी पति- संजय कुमार ग्राम- जलालपुर पो०- गुजरचक थाना- चडी जिला- नालदा	हृदय रोग एमभीआर	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	मजू देवी पति- विनोद साव ग्राम- पुराणी ककडबाग गेट न०- 15 पटना पो०- लोहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	पप्पू कुमार पिता- प्रहलाद पासवान ग्राम+पो०- सोनागोपालपुर थाना- गोपालपुर जिला- पटना	Laparotomy Exploratory	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	खुशबू देवी पति- सुनील राम ग्राम- सकरी पो०- लालनपुर थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	विनोद कुमार पिता- गोपाल सिंह ग्राम- ज्ञानचक पो0- कोठिया थाना- दीदारगंज जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	मो0 आकिफ रियाजी पिता- मो0 जाहिद हस्सन ग्राम+पो0+थाना- खुटौना जिला- मधुबनी	हृदय रोग बीएमवी	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
7	नन्द किशोर सिंह पिता- राम एकबाल सिंह ग्राम- सरिस्ताबाद इद्रपुरी पथ वार्ड 16 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	विक्रम कुमार महतो पिता- विजय कुमार महतो ग्राम- देव बिगहा पो0- दोसुत थाना- वेना जिला- नालंदा	Spine Surgery Disectomy+ Laminectomy	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	जयती देवी पति- स्व0 राजकिशोर शर्मा ग्राम- रूपसपुर पो0+थाना- हरनौत जिला- नालदा	हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	जैकी कुमार पिता- सिंगेश्वर सिंह ग्राम- महुली पो0- कोठिया थाना- दीदारगंज जिला- पटना	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	मो0 जावेद अख्तर पिता-स्व0 अब्दुल्लाह अंसारी ग्राम-गडेडिया खड पोस्ट-जहानाबाद थाना+जिला-जहानाबाद	Chest Injury	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			8,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का

प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत दसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

आपंक - 1062(14)

पटना/दिनांक - 16-4-2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कृज बिहारी प्रसाद पिता- बालेश्वर प्रसाद ग्राम- झरौखर पो०- जमुनिया थाना- झरौखर जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	धर्मेन्द्र सिंह पिता- रामशरण सिंह ग्राम+पो०- बिशुनपुर बसंत थाना- फेनहरा जिला- पूर्वी चम्पारण	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सरिता देवी पति- कृष्णा कुमार शर्मा ग्राम- नोना पो०+थाना- नालदा जिला- नालंदा	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	मुकेश यादव पिता- दिनेश प्रसाद ग्राम+पो०- कैला थाना- सरे जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	निरजन कुमार पिता- दरोगी पंडित ग्राम- धीमा वार्ड 20 पो०- धीमा थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	अजुला देवी पति- दिनेश पंडित ग्राम- बघरा पो0+थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,45,000/- (पाँच लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1063(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महेश राय पिता- मगल राय ग्राम- इन्फ्रान्ट ऑफ आर डी एस कॉलेज सहीद द्वार गेट पो०- रमना थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए+ स्टेन्ट	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	सुनीता देवी पति- विनोद कुमार ग्राम- उसरी बाजार पो०- उसरी थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002638... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1064(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राधा देवी पति- सोनू कुमार ग्राम- बास कोठी स्आलिन नगर पो- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना	Left Tympanoplasty	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 440720110000219 खाता धारक का नाम- "अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों

को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1065 (14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	छोटू कुमार पिता- श्याम बाबू साव ग्राम- बीबीगंज भट्टा रोड वार्ड 18 पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मुमताज बानो पति- मो० जाहिर ग्राम+पो०+थाना- जमुई जिला- जमुई	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1066(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई० बी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/4/26

स0 स0 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रेखा देवी पति-अनिल राय ग्राम-नियर मस्जिद गली मैनुपुरा वार्ड 11 पोस्ट-दानापुर कैंट थाना-दानापुर जिला-पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सुभद्रा देवी पति-राजेन्द्र साह ग्राम-सीताकुड हसनपुर 11 पोस्ट-दरियापुर थाना-मुफसिल जिला-मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	उषा देवी पति-राम श्याम प्रसाद ग्राम-आदर्श नगर 10 पोस्ट-हसपुरा थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	जियाउल हक पिता-इसरारुल हक ग्राम-कैसरा वार्ड 13 पो०-कैसरी थाना-जोकीहाट जिला अररिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	भारती देवी पति-विजय पाण्डेय ग्राम-अर्जुन सेरथुआ सराय पोस्ट-अर्जुन सेरथुआ सराय थाना-खुदागज जिला-नालंदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	बिन्दु देवी पति-मणि शकर कुमार ग्राम-रामकृष्णा नगर वार्ड 30 पो0-न्यु जगनपुरा थाना रामकृष्णा नगर जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुजाता देवी पति-स्व0 भरत मंडल ग्राम-अमहारा पो0-हरचंडी थाना-रजौन जिला बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	लाल बाबु यादव पिता-भगवान यादव ग्राम-धमार वार्ड 3 पो0-धमार थाना-आरा मुफफसिल जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	इंगला देवी पति-सचिदानंद सिंह ग्राम+पो0-बराह थाना-पुनपुन जिला-पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	अमरकांत कुमार पिता-बली भुइया ग्राम-बहेरा वार्ड 05 पो0-पनानिया थाना-इमामगंज जिला गया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मुन्नी देवी पति-बिजेन्द्र राय ग्राम-नकटा दियारा दीघा पोस्ट-दीघा घाट थाना-दीघा जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	अजय कुमार पिता-राम चन्द्र रजक ग्राम-सुई की मस्जिद मोगलपुरा नौदाल पोस्ट-झाउगज थाना-खाजेकला जिला-पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	दीपक रानी पति-जनेश्वर पासवान ग्राम-कजपा वार्ड 10 पोस्ट-जाखीम थाना-रफीगंज जिला औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	दिनेश साह पिता-रामाधार साह ग्राम+पो0-तिलकताजपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	तनजील आलम पिता-मो0 सगीर उद्दीन ग्राम-सिंघारी वार्ड 04 पोस्ट-पियाजी थाना-रौटा जिला पूर्णिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	मुनेजा खातुन पति-कुदुस मियाँ ग्राम-दिघौत पोस्ट-कैयार थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
17	बिजेन्द्र दास पिता-स्व0 कोकाय दास ग्राम-बेलोकला 07 पोस्ट-बेलो थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	प्रीती कुमारी पति-जितेन्द्र यादव ग्राम+पो0लालु अहीर के डेरा थाना-करनामेपुर जिला-भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	नर्गिस खातुन पति मो0 हारून ग्राम-चैनपुर पो0-चैनपुर थाना-महलगाव जिला अररिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	राजया खातुन पति-राजमहमद मीरा ग्राम-परसा पैठान पट्टी पो0-नरकटिया थाना-दरपा जिला-पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

21	रजिया खातुन पति-आलम हुसैन ग्राम-रसूलपुर पो0-रसूलपुर थाना-अमनौर जिला-सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	मुस्लिम पिता-फरीद ग्राम-मजगांव 04 पो0-भुना थाना-महलगाव जिला-अररिया	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
23	नसीरुल्लाह असारी पिता-महमदीन साहब ग्राम-तुरकहां वार्ड 4 पो0-गोपालगंज थाना+जिला गोपालगंज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
24	भरत मंडल पिता-आनदी मंडल ग्राम-बलैठा वार्ड 01 पो0-महुआ बाजार थाना-बसनही जिला-सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			15,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,70,000/- (पन्द्रह लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1067(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जगतनारायण सिंह पिता- परमेश्वर सिंह ग्राम- मुबारकपुर पो०- तुलसीगढ थाना- चंडी जिला- नालदा	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	संजू देवी पति- प्रमात्मा कोहार ग्राम+पो०- छोटा सासाराम थाना- उदवतनगर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	चदेश्वर राय पिता- मगल राय ग्राम+पो०- सोधनी थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	झबरू मंडल पिता- उगन मंडल ग्राम+पो०- जमुआ थाना- ताराबाडी जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	सुषमा सिन्हा पति- राजेश रंजन ग्राम- चौदमारी रोड गली नं०- 01 कंकड़बाग पो०- लोहिया नगर थाना- ककड़बाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	उपेन्द्र प्रसाद पिता- दरोगा महतो ग्राम- चौद सराय पो0+थाना- महुआ जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत
7	जीतेन्द्र कुमार पिता- विजय राय ग्राम+पो0+थाना- दीघा जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सोनी रजन पति- रवि रजन कुमार ग्राम- चिलोरी पो0- मलाठी थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	अनीता देवी पति- जनक किशोर सिंह ग्राम- सब्बलपुर पो0- मोहनपुर थाना- पुनपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			7,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,70,000/- (सात लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0.0.2.6.38. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1068(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002638 .. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० अनवर मुराद पिता— मो० मुराद आलम ग्राम— माहपुर पो०— फरीदपुर थाना— हुसैनगज जिला— सिवान	नी रिफ्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1069 (14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 012628 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० नैनज्जर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/4/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अखिलेश कुमार पिता- नागेश्वर दास ग्राम- गोविंदपुर पो0- बाजितपुर सैदात थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	ट्रामा सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	दिलीप दास पिता- स्व0 रामधनी दास ग्राम- मोगलपुरा टोटी बाजार भगत सिंह कॉलोनी पो0- झाउगज थाना- खौंजेकला जिला- पटना	ट्रामा सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	नीलम देवी पति- स्व0 चंद्रशेखर राम ग्राम- लोहा का पूल चौघरा पो0- झाऊगज थाना- खौंजेकला जिला- पटना	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			1,75,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सर्वप्रथम मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/4/2026

ज्ञापाक 1070(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
16/4/2026

सं0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक सोनी पिता-प्रेम सोनी ग्राम-रघुरामपुर पोस्ट-चादमारी थाना-शाहपुर जिला-पटना	मेजर ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार



अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एरा० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1071(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/4/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैंम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुषमा कुमारी पति- रामाचल सिंह ग्राम- रिवर वैली डुमरा रोड पेट्रोल पम्प के पीछे पो०+थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी केस फाईल न०- 19एफ2026/000601	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सीता देवी पति- स्व० रामचंद्र महतो ग्राम- बेलायाकुब पो- कबीरचक थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा केस फाईल न०- 19एफ2025/005295	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	चचला कुमारी पति- रमेश कुमार ग्राम- प्रेम नगर भलूरा पो०- भलूरा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/001188	कैंसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	शिवनाथ राम पिता- महेश राम ग्राम- अलीनेउरा पो०- दाउदछपरा थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/003585	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	राकेश मडल पिता- श्याम मडल ग्राम- बेनीपुर पो0- जनार थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- केई/83159	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	कविता कुमारी पिता- गोपाल सहनी ग्राम- कल्याणपुर हरौना पो0- मोरसन्डी थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/000644	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	संध्या देवी पति- मुकेश पटेल ग्राम- परती टोला छाता बाजार पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026/000195	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सुमित्रा देवी पति- राम सागर साह ग्राम- महमदपुर मोहन पो0- महमदपुर बदल थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/006409	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	सुनीता देवी पति- सुरेश महतो ग्राम- सोमनाहा कुशवाहा चौक पो0- सोमनाहा मिर्जानगर थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025/004863	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	रीता देवी पति- प्रमोद राउत ग्राम+पो0- कुआरी मदन थाना- मजोरगज जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025/006200	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	सुधा कुमारी पति- बालेन्द्र कुमार ग्राम- साढा डमबर मोतीपुर पो0- मोतीपुर थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/000809	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	चौदनी कुमारी पिता- कमल शर्मा ग्राम+पो0- रथौस थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001646	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रेणु देवी पति- सियाराम यादव ग्राम- बखरी पो0- समदा थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा केस फाईल न0- 11एफ2024 / 031450	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	शहनाज बेगम पति- मो0 हदीश ग्राम- घोसरामा पो0- घोसरावन थाना- हत्थ जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000792	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	रवीना खातून पिता- मो0 इस्लाम ग्राम- माडीपुर पो0- सिलौत थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001114	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	फूलो कुमारी पति- दीपक कुमार ग्राम- सिलौत पो0- पोखरैरा थाना- मुफ्फसिल जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000812	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मो0 जियाउद्दीन पिता- मो0 मजलूम ग्राम- दुबियाही छीट पो0- लालपुर थाना- पिपरा जिला- सुपौल केस फाईल न0- 19एफ2026 / 001328	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
18	अगूरी खातून पति- मो0 गफार ग्राम- रामपुर रतन पो0- चतुरसी थाना- सिवाईपट्टी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003377	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

19	हिमाशु भूषण सहगल पिता- स्व० शशिनाथ प्रसाद ग्राम- सहगल भवन सुरतगज पो०- मधुबनी थाना- टाउन जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 19एफ2026/000539	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	मंजू देवी पति- राम उदय चौरसिया ग्राम+पो०- सोनमा थाना- बखरी जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- 19एफ2026/001137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मनोज साह पिता- अवधेश साह ग्राम- मिथनपुर पो०- राघोपुर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/000736	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	रूपेश कुमार पिता- रामजी प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2024/002074	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मीना देवी पति- शशिकांत सिंह ग्राम-कटियारा पो०- दधवा थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न०- 19एफ2026/001887	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
24	अक्षरा कुमारी पिता- दिलीप कुमार ग्राम+पो०- छपरा धरमपुर यदु थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/000444	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	मो० शौकत अली पिता- मो० इब्रहिम ग्राम- सकरा फरीदपुर पो०- ढोली थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19एफ2025/003706	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

26	साह मोहम्मद पिता- पाचु मिया ग्राम+पो0- करनेजी थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2024 / 004677	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
27	रामनारायण राय पिता- स्व0 भोला राय ग्राम- मोरवा मोहनपुर पो0- मोरवा थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 11एफ2025 / 019443	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	शबनम कुमारी पति-अनिल शर्मा ग्राम-साहियार बुर्ज पो0-रोसडा थाना-रोसडा जिला-समस्तीपुर केस फाइल न0- 19एफ2025 / 001179	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
29	योगी बैठा पिता-विसुनी बैठा ग्राम-मलकौनीया पोस्ट- पचपकडी थाना- पचपकडी ओ0पी0 जिला-पूवी चम्पारण केस फाइल न0- 19एफ2026 / 001166	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			20,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,80,000/- (बीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638 . . .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-'होमी भाभा कैसर हौस्पिटल,एंड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर', खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1072(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	कौशल्या देवी पति- बासुदेव माझी ग्राम- औटा पो०- गोनावा थाना- नवादा जिला- नवादा	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रेशम कुमारी पिता- सुरेश कुमार ग्राम- नवादा पो०- नवादा थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग एएसडी + भीएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1074(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 012638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/4/20
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Vista Hospital,

1/1103 Near Patna Central School,

Bypass Road, Jaganpura,

Patna- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतोष कुमार पिता- बीरो साव ग्राम- मौलानगर वार्ड 18 पो०- सुरजगढ थाना- सुर्यगढा जिला- लखीसराय	ड्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	रियाश राज पिता- पवन कुमार ग्राम- आदिलपुर पो०- फतुहा थाना- खुशयपुर जिला- पटना	Plastic Surgery	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	सोनू कुमार पिता- बलराम साह ग्राम- नई जगनपुरा मधुबन कॉलोनी पो०- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता



धारक का नाम— Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— Canara Bank, शाखा का नाम— Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड स०— CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1075 (14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० सी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **08.04.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नदकिशोर केशरी पिता- लालबहादुर केशरी ग्राम+पो०- रामपुर थाना- बखरी जिला- बेगूसराय	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002638..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 41174672661, खाता धारक का नाम- CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD. खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड स०- SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1076(14)

पटना, दिनाक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0सं0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Holy Promise Hospital

(Aunit of Holy promise Multispeciality Hospital Pvt. Ltd.),

East Patel Nagar, Near Gandhi Murti

Patna- 800023

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चानेश्वर महतो पिता- स्व० पहारू महतो ग्राम- चिंतामानिपुर मौला पो०- कमला गोपालपुर थाना- मनेर जिला- पटना	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 60,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002638...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 37191679317, खाता धारक का नाम- **HOLY PROMISE MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD**, खाते का प्रकार- **CURRENT ACCOUNT**, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं० **SBIN0018099** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।



5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1077(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैरजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड नं०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबंधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	अशोक राय पिता-राम बाबु राय ग्राम-दरियापुर चाय टोला पोस्ट+थाना कदमकुआ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	दिनेश कुमार राय पिता-स्व० दीप नारायण राय ग्राम-नया पानापुर नवदियारी पो०-मानस थाना-दानापुर जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	लालपातो देवी पति-जपित यादव ग्राम-धोबी गली पो०-बाकीपुर थाना-कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	भिखारी पंडित पिता-तप नारायण पंडित ग्राम-राजधानी मार्केट खेतान मार्केट, पो०-बाकीपुर थाना कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	सबिता देवी पति-लाल बहादुर यादव ग्राम-बुद्ध मुर्ति पोस्ट+थाना कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	शिवजी राम पिता-कैलाश राम ग्राम-मछुआ टोली पो0-बाकीपुर थाना-कदमकुआ जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	फुलीया देवी पति-स्व0 हरेन्द्र राय ग्राम-चांदपुरा पो0-चांदपुरा थाना-राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	कलावती देवी पति-टेम्हन राय ग्राम+पो0-रामपुर श्यामचन्द थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	देवन्ती देवी पति-मित्रन महतो ग्राम+पो0-रूसतमपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	अशर्फी राय पिता-लाल किशुन राय ग्राम+पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	रीना देवी पति-रामबाबु सिंह ग्राम-हरनही पो0-बिमावा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	सजय प्रसाद पिता-राम चद्र प्रसाद महतो ग्राम-नेवा पोस्ट-डिहरी थाना पीपडा जिला पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	पनपतिया देवी पति-सुदामा राय ग्राम-डिहारी पो0-डिहारी थाना-पीपरा जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	शकीला बानो पति-मो० सफिक ग्राम-कव्वाल टोली पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	मो० मसुर पिता-मो० युनुस ग्राम-नहरपर इसोपुर पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	मो० ताहिर पिता-मो० एनायत हुसैन ग्राम-इसापुर रहमत नगर पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	सहिना खातुन पति-मो० मुन्ना ग्राम-नहरपुर लाल मिया की दरगाह पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	समीना खातुन पति-मो० इकबार ग्राम-ताजनगर पो०+थाना-फुलवारीशरीफ जिला पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	मच्छु राय पिता-तुलसी राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो०-राघोपुर थाना-जुडावनपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	लच्छु राय पिता-नबाब राय ग्राम+पोस्ट-राघोपुर थाना-जुरावनपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	पावित्री देवी पति-बेचन राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पोस्ट-जुडावनपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	इद्रावती देवी पिता-प्रदीप दास ग्राम-राघोपुर पूर्वी पोस्ट-राघोपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	सुनैना देवी पति-तसबीर राय ग्राम-जफराबाद डीह पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
24	चन्देश्वर राय पिता-बहुन्द्र राय ग्राम-जफराबाद टोक पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
25	दुलारचन राम पिता-रामचन्द्र राम ग्राम-राघोपुर पूर्वी पोस्ट-राघोपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
26	राम ईश्वर ठाकुर पिता-सीता ठाकुर ग्राम-जफराबाद डीह पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
27	पारो देवी पति-दसई राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो0-जुडावनपुर थाना-जुरावनपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
28	बासुदेव राय पिता-बिलासी राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो0+थाना-राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
29	पार्वती देवी पति-बजरगी राम ग्राम-राघोपुर पश्चिम पोस्ट+थाना-राघोपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
30	कमली देवी पति-हरवश राय ग्राम-राघोपुर पूर्वी पो0+थाना-राघोपुर जिला वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
31	महेश दास पिता-मुखदेव दास ग्राम-परोहा पोस्ट-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

32	देवकल देवी पति-जगदीश ठाकुर ग्राम-पुरषोतमपुर पो0-जफराबादडीह थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
33	कान्ती देवी पति-नगीना दास ग्राम-कादीरगज पो0-नतौल थाना-कादीरगज जिला-पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
34	सुधा देवी पति-कृष्णा सिंह ग्राम-पोस्ट आफिस रोड नाबार्ड के बगल नई पुनाईचक पो0-शास्त्री नगर थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
35	महेन्द्र राय पिता-रामदेनी राय ग्राम-मीरमपुर पोस्ट-मोहनपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 201626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं0 UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छ. माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1078(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सार्प साईट आई० हौस्पिटल,
आध्या हाईट आशियाना मोड,
आशियाना दीघा रोड,
पटना 800025

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 08 04 2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेबी देवी पति- जनार्दन सिंह ग्राम+पो०- बखोरापुर थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200043954418 खाता धारक का नाम- 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम- LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000120 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1080(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **08.04.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीता देवी पति-लालदेव राय ग्राम-हिम्मतपुर पोस्ट-रूसतमपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सकलदीप राय पिता-सागर राय ग्राम+पो०-रूसतमपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सीताराम महतो पिता-बली महतो ग्राम-जाफराबाद पोस्ट-राघोपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	सुरेश महतो पिता-कृपाली महतो ग्राम-जाफराबाद तोक पोस्ट-राघोपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	हरवश महतो पिता-प्रभु महतो ग्राम-गुलमहीयाचक पो०-सबलपुर थाना-दीदारगज जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	मुशाहेब राय पिता-जदु राय ग्राम-हेमतपुर पो0-रूसतमपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	गणेश पडित पिता-लाल पहारी पडित ग्राम-नेजामपुर पोस्ट-सिघारा थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	कृपाली महतो पिता-बालचद महतो ग्राम-जफराबाद टाक पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	लाला देवी पति-विश्वनाथ दास ग्राम-हेमतपुर पो0-रूसतमपुर थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	पार्वती देवी पति-अशरफी राय ग्राम-जफराबाद टाक पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	बिदा महतो पति-लक्ष्मण महतो ग्राम-जफराबाद टाक पो0-जफराबाद थाना-राघोपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	फुलवा देवी पिता-कमलेश्वर पासवान ग्राम-असाधरपुर पो0-थाथन बुजुर्ग थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	नागेन्द्र पासवान पिता-भतन पासवान ग्राम-असाधरपुर पो0-थाथन बुजुर्ग थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

14	जयलशिया देवी पति-सुरेन्द्र राम ग्राम-सहवाईपुर पोस्ट-हरौली थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	दुखनी देवी पति-लालदेव राय ग्राम-मोहिउदीनपुर पो0-बिदुपुर आर0एस0 थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	सुनीता देवी पति-बालेश्वर सिंह ग्राम ताजपुर खरका पो0-खरका थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	बैद्यनाथ दास पिता-निरसेन दास ग्राम-धबौली पो0-धबौली थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	राज किशोर राय पिता-पन्नु लाल राय ग्राम-सदुल्लाहपुर धोबौली पो0-धोबौली थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	मजु सिंह पति-सीताराम सिंह ग्राम-बसतपुर पो0-धबौली थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	गीता देवी पति-शकर साह ग्राम-बसौली पोस्ट-तितरा थाना-राजापाकर जिला-वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	जय लाल राय पिता-लगन राय ग्राम-धोबल पो0-धोबली थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	बलदेव दास पिता-बहादुर दास ग्राम-उफरोल पो0-धोबौली थाना-बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	गनौरी देवी पति-जग्गु ठाकुर ग्राम-धोबौली पो0-धोबौली थाना बिदुपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	कालो पासवान पति-मगल पासवान ग्राम-नेवा पोस्ट-डिहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	सरस्वती देवी पति-नेपाल सिंह ग्राम-नेवा पो0-डीहरी थाना-पीपडा जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	देवकी देवी पति-लक्ष्मी पासवान ग्राम+पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	बेदमीया देवी पति-लाल बिहारी पासवान ग्राम-नेवा पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	सुनैना देवी पति-रामजी राम ग्राम+पो0-डीहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	पावो देवी पति-रामा पासवान ग्राम-रूपस पोस्ट-ग्यासपुर थाना-सलीमपुर जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

30	भगवान प्रसाद पिता-बयादर यादव ग्राम-खरजामा पो0-रेवान थाना मसौढी जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
31	सियाराम सिंह पिता-गनी गोप ग्राम-खरजामा पो0-रेवान थाना मसौढी जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	अमरिका यादव पिता-जदु यादव ग्राम-खरजामा पो0-रेवान थाना मसौढी जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	राजेश्वर प्रसाद सिंह पिता-ब्यादर सिंह ग्राम-खरजमा पो0-रेवान थाना-मसौढी जिला पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
34	रामेश्वरी देवी पति-हवलदार महतो ग्राम-सिकदरा पो0-तरमा थाना-दरियापुर जिला-सारण, छपरा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
35	दिलिप महतो पिता-अच्छेलाल महतो ग्राम-सिकदरा पो0-तरमा नगरपाल थाना-दरियापुर जिला-सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
36	चिता देवी पति-जग नारायण राय ग्राम-मनपुरा पो0-तरमा थाना-दरियापुर जिला-सारण, छपरा	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
37	लालपरी देवी पति रामप्रवेश पासवान ग्राम- नेवा पोस्ट- डिहरी थाना- पीपडा जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

38	जगपतिया देवी पति-बिन्देश्वर पासवान ग्राम-नेवा पोस्ट-डिहारी थाना-पीपडा जिला-पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
39	हरेन्द्र राय पिता-परीक्षण राय ग्राम+पोस्ट-दिधी कला थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
40	विश्वनाथ राय पिता-भगीरन राय ग्राम-चकबीजगनी पो0-हाजीपुर थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
41	मिरनिया देवी पति-जय किशुन पासवान ग्राम-पानापुर लगा पोस्ट-राजापाकर थाना-हाजीपुर जिला वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			4,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,10,000/- (चार लाख दस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं0 UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ.) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

जापाक 1081(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
एशिया हॉस्पिटल
नीयर धनुकी मोड़
अगमकुंआ ब्रिज मेन रोड
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुन्ना महतो पिता- प्रयाग महतो ग्राम- रामनगर पो- जी०पी०ओ० ना- जक्कनपुर जिला- पटना	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			60,000/-	

2. कुल अनुदान की कुल राशि 60,000/- (साठ हजार) मात्र का क्रास चेक स०...००२६३७..... में सलग्न।
3. प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित के अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जाएगा।
4. यदि आदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर त्रुटि सुधार प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय स्थिरता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/4/2026

ज्ञापक 1073 (14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्गार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जितेन्द्र कुमार पिता-राम दहिन प्रसाद ग्राम-अजवान पोस्ट-अजवान थाना-नौबतपुर जिला-पटना	रेटिना सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			40,000	

- अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 002635..... मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को दिनांक बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व को शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अन्दर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—


(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1079(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


16/4/26
निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अभिषेक कुमार
पिता- ललितेश्वर कुमार
ग्राम+पो०- धोबवल धुपनगर
थाना- खैरा
जिला- सारण
पिनकोड- 841412

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभिषेक कुमार पिता- ललितेश्वर कुमार ग्राम+पो०- धोबवल धुपनगर थाना- खैरा जिला- सारण पिनकोड- 841412	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002698 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 32977223666, खाता धारक का नाम- ABHISHEK KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- NAGRA, IFSC कोड सं०- SBIN0005785 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1107(14)


पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

Account Type	Cash/Credit	Branch	Branch
Account No.	123456789	Branch Code	123456
Account Name	Mr. X	Branch Name	Branch Name
Account Address	123 Main St	Branch City	Branch City
Account State	State	Branch Country	Country
Account City	City	Branch Pincode	Pincode
Account District	District	Branch State	State
Account Country	Country	Branch Currency	Currency
Account Currency	Currency	Branch Language	Language
Account Interest	Interest	Branch Branch	Branch
Account Minimum	Minimum	Branch Branch	Branch
Account Maximum	Maximum	Branch Branch	Branch
Account Charges	Charges	Branch Branch	Branch
Account P&T	P&T	Branch Branch	Branch



Branch: NAGRA Code: 5785
AT+PO-NAGRA

Email: sbi.05785@sbi.co.in
Phone No.: 9771404792
IFSC: SBIN0005785

Pass Book No. 123456
MID No. 123456


Name: LALITESH KUMAR
S/D No. 8613407945
C/F Number 32977223666
Account No.: 32977223666
A/C Type: S/O LAIT: SHAP KUMAR
Address: S/O LAIT: SHAP KUMAR
VILL: KHOBAL DHUPN-GAR PO- DHUPN
PS- KHAIIP- DIST- SAMAN

Branch Code: 5785
Branch Name: NAGRA
Branch City: NAGRA
Branch State: NAGRA
Branch Country: NAGRA
Branch Pincode: 5785

Phone No. 9771404792
Email: sbi.05785@sbi.co.in
D.O.B (if Minor):
PPO Number

Handwritten signature and date:
24/08/2026

Abhishek Kumar
W. Laliteswar Kumar
Dhobwal Dhuwagar
खैरा, जिला-सारण, बिहार




छपरा सारण
NOTARY
17/3/26

शपथ पत्र

मैं अभिषेक कुमार, पिता ललितेश्वर कुमार, ग्राम-धोबवल धुपनगर, पोस्ट-धोबवल धुपनगर, थाना-खैरा, जिला-सारण (बिहार) का स्थायी निवासी हूँ। मैं निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

26/8
17/3/26

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मेरा आधार संख्या- 2027 8138 9372 एवं मोबाइल संख्या- 9504426553, 8651676879 है।
3. यह कि दिनांक 05-02-2026 को एस०जी०पी०जी०आई० अस्पताल, लखनऊ में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हूँ, जिसका पंजीयन संख्या 2024900090 एवं किडनी ट्रांसप्लांट संख्या 3775 है। उस वक्त बिहार सरकार के द्वारा अनुदान राशि भी मिली थी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वर्तमान में दवा पर लगभग 20-22 हजार रुपये प्रतिमाह खर्च हो रहा है, जिससे किसी तरह उधार एवं कर्ज लेकर खर्च वहन कर रहा हूँ।
4. यह कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवा खरीदने हेतु अनुमानित राशि स्वीकृति करने हेतु यह शपथ पत्र दे रहा हूँ।
5. यह कि मेरा खाता संख्या- 32977223666 एवं आई०एफ०एस०सी० कोड- SBIN0005785, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा- नगरा, सारण में है।
6. यह कि स्वीकृत प्रदत्त राशि का उपयोग मैं केवल दवा खरीदने में ही करूँगा।
7. यह कि स्वीकृति अनुदान राशि मेरे ऊपर वर्णित खाता में भेजने हेतु यह शपथ पत्र है।
8. यह कि उपर्युक्त अंकित सभी कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।



अतः यह शपथ पत्र है।

दिनांक : 17/3/26

अभिषेक कुमार
हस्ताक्षर.....

Identify the Deponee
Signature/Initial who has
signed/out in m.
Date 03/17/2026

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

सोनू कुमार
पिता- राधे श्याम सिंह
ग्राम+पो०- टेगराहॉ
थाना- मीनापुर
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843117

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनू कुमार पिता- राधे श्याम सिंह ग्राम+पो०- टेगराहॉ थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843117	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002638 . . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 24770100006767, खाता धारक का नाम- SONU KUMAR SO RADHEY SHYAM, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम- AKBARPUR, IFSC कोड सं०- BARB0AKBABU में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1108(14)

पटना, दिनांक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 022638 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
16/4/26

यह पासबुक बैंक के किसी भी सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटर पर अद्यतन हो सकती है।

This passbook can be updated at any of the Bank's Self-Service Passbook Printer.

उपयोगी जानकारी / Useful Tips



1 अपना मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी तथा पता आदि अद्यतन करवाएं.

Sr No 5678270916058670

Update your latest Mobile number, email-ID, Address etc in the branch.

2 पासबुक को संभालकर रखें. पास बुक में कही भी अपने हस्ताक्षर न करें. पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करवाएं. किसी भी विसंगति की सूचना तत्काल दी जाए अन्यथा बैंक द्वारा यह मान लिया जाएगा कि प्रविष्टियां/शेष सही है और ग्राहक को स्वीकार्य हैं.

Preserve your passbook carefully Do not put your signature on passbook Get pass-book updated regularly Any discrepancy should be notified immediately, failing which the Bank would assume the entries / balance as correct and accepted by the constituent

3 कृपया ऐसे ई-मेल पर ध्यान न दें जिसमें आपके बैंक खाता विवरण के बारे में पूछताछ की गई हो. कृपया इंटरनेट बैंकिंग खाते के यूजर आई-डी, पासवर्ड, एटीएम पिन आदि की जानकारी अन्य को न दे.

Please ignore emails that ask for your bank account details. Please do not part with internet banking account's user-ID, password, OTP, ATM pin etc

Branch Name : AKBARFUR, UP Phone : 05732-280487
Branch Email ID : akbabu@bankofbaroda.com
IFSC : BARBOAKBABU [Fifth character is zero]
MICR Code : 203012051
Customer ID : 065552495
Account Number : 24770100006767
Account Name : SONU KUMAR SO RADHEY SHYAM
Address : R K ELECTRICALS
: BHOR CROSSING
: BULANSHAHAR UP 203001
A/c Opening Date : 19-06-2012
Nomination Added : Yes

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अरविन्द कुमार
पिता- शिव दयाल राय
ग्राम- पानापुर मक्कनपुर
पो०- सरमस्तपुर
थाना- महनार
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844501

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरविन्द कुमार पिता- शिव दयाल राय ग्राम- पानापुर मक्कनपुर पो०- सरमस्तपुर थाना- महनार जिला- वैशाली पिनकोड- 844501	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			₹ 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002638 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 4037000100037087, खाता धारक का नाम- ARVIND KUMAR, खाते का प्रकार- बचत खाता, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं- PUNB0403700 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1109(14)

पटना, दिनाक 16/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०. 002638 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विदेशक प्रमुख 16/4/26

पंजाब



4037000100037087

खाता विवरण/ACCOUNT PARTICULARS

BR Code: 54-02-002
 BR Code: 54-00415770
 Toll Free: 1800222222 / 18001032222 / 1800-01302490001
 Call Centre: 011-2610071 / 05 / 011033207074
 Date of Issue: 01-01-2011
 Date of Validity: 31-12-2011
 Date of Expiry: 31-12-2011
 Date of Issue: 01-01-2011
 Date of Validity: 31-12-2011
 Date of Expiry: 31-12-2011
 Date of Issue: 01-01-2011
 Date of Validity: 31-12-2011
 Date of Expiry: 31-12-2011
 Date of Issue: 01-01-2011
 Date of Validity: 31-12-2011
 Date of Expiry: 31-12-2011

Ac. No - 4037000100037087
 चेकी नं. - 9470604371

प्राधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorized Official/Manager

कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करने/आद्यक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सृजित पासबुक/विवरणों पर हस्तलिखित (मैन्युअल) प्रविष्टियां स्वीकार न करें।
 Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

**पासबुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK**

लेखा में लाया गया	B/F	इतरभंड	आईएसओ
आगे से लाया गया	Carried Over	Inter Sol	ISO
नकद	Cash	बकल	ब्याज
कैश	Cheque	Interest	इंटर
चेक	समाशोधन	अवकाश बैंक क्लियरिंग	आईएमटी
कैश	Clearing कमीशन	स्थानीय बैंक/मांग ड्राफ्ट	एल.डी.डी.
चेक	Commission	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	एनईएफटी
चेक	बट्टा	National Electronic Fund Transfer	NEFT
कैश	Discount	बाहरी बैंक / बिल	ओ.बी.सी.
कैश	तामाश मंत्र	Outstation Cheques / Bills	O.B.C.
कैश	Dividend Warrant	बाहरी बैंक/खरीदे गये बिल	सीडी
कैश	Draft	Outstation Cheques/Bills Purchased	DD
कैश	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा	तत्काल सकल निपटारा	आरटीसीएस
कैश	Electronic Clearing Services	Real Time Gross Settlement	RTGS
कैश	असंगिक भुगतान	वापसी	रिफ.
कैश	Incidental Charges	वापसी	अ.
		Transfer	Tr.

--	--	--

नाम/Name _____ नाम/Name _____ नाम/Name _____
 खाताधारक/Account Holder-1 खाताधारक/Account Holder-2 खाताधारक/Account Holder-3

बैंक ग्राहक के चेकों को सकारने अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के शेषों तथा संबंधित दिन में खाते से एटीएम व इंटरनेट द्वारा आहरित प्रविष्टियों का ध्यान रखें।
 Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance upto the previous day and against clear balance including withdrawals made through Internet Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the account.

कृपया पास बुक न मोड़ें PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK
 24 घंटे नि:शुल्क कॉलसेंटर सेवा उपलब्ध है। 18001802222 / 18001032222
 Toll free 24 hours call centre 18001802222 / 18001032222

५५(१५)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अरविन्द कुमार
पिता- शिव दयाल राय
ग्राम- पानापुर मक्कनपुर
पो०- सरमस्तपुर
थाना- महनार
जिला- वैशाली
पिनकोड- ८४४५०१

पटना, दिनांक ०४/३/२५

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाराज,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक २७.०२.२०२५ की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-४ में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
१	२	३	४	५
१	अरविन्द कुमार पिता- शिव दयाल राय ग्राम- पानापुर मक्कनपुर पो०- सरमस्तपुर थाना- महनार जिला- वैशाली पिनकोड- ८४४५०१	Post Kidney Transplant Medicine	१,०८,०००	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- २१३(१४), दिनांक- ३०.०१.२०२४ के आलोक में)
			₹० १,०८,००० / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ १,०८,००० / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० ३०१२१३८०४२४ एस० बी० आई०, वेली रोड, शाखा पटना के पास चेक सं० १९६४११ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- ४०३७०००१०००३७०८७ खाता धारक का नाम- ARVIND KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- PUNB०४०३७०० में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

निदेशक समाज

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख